



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102021-230554
CG-DL-E-20102021-230554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]
No. 605]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

सं. 61 /2021 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 748(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया आर पी में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फिनोल", जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2907 11 10 के अंतर्गत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 08 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 284(अ) दिनांक 11 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/213/2021-टीआरयू-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 06/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016 को सा.का.नि 284 (अ) दिनांक 11 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 33/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), 3 जून, 2021 जिसे सा.का.नि. 389 (अ), दिनांक 3 जून, 2021 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th October, 2021

No. 61 /2021-Customs (ADD)

G.S.R.748(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on “Phenol”, falling under tariff item 2907 11 10 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from the European Union, Singapore and Korea RP and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 06/2016-Customs (ADD), dated the 08th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 283(E), dated the 11th March, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. CBIC-190354/213/2021–TRU-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 06/2016-Customs (ADD) dated the 8th March, 2016 was published *vide* number G.S.R. 283 (E), dated the 11th March, 2016 and last amended by notification No. 33/2021-Customs (ADD) dated the 3rd June, 2021 published *vide* number G.S.R. 389 (E), dated the 3rd June, 2021